

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 22] नई दिल्ली, जून 12—जून 18, 2016, शनिवार/ज्येष्ठ 22—ज्येष्ठ 28, 1938

No. 22] NEW DELHI, JUNE 12—JUNE 18, 2016, SATURDAY/JYAISTHA 22—JYAISTHA 28, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 10 जून, 2016

सा.का.नि. 95.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) भर्ती (संशोधन) नियम 2016 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, हिंदी शिक्षण योजना, सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) भर्ती नियम 2014, की अनुसूची के स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती नियम किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक

और अन्य अर्हताओं से संबंधित मद (ii) में "हिंदी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति" अंकों और शब्दों के पश्चात "प्रत्येक शब्द के लिए 5 की-डिप्रेसन के औसत पर 12000 केडीपीएच के समरूप" अंक और शब्द अंतः स्थापित किये जाएंगे।

[फा.सं. 14034/24/2015-राभा(प्रशि.)]

मंजुला सक्सैना, उप सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग- II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. 95 तारीख 17 मई 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

New Delhi, the 10th June, 2016

G.S.R. 95 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following amendments to the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme, Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) Recruitment Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme, Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute, Hindi Teaching Scheme, Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) Recruitment Rules, 2014, in the Schedule, in the entries under column (7) relating to educational and other qualifications required for direct recruits, in item (ii), after the figures and words "40 words per minute in Hindi typewriting", the words, figures and letter "correspond to 12000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word" shall be inserted.

[F. No. 14034/24/2015-OL(Training)]

MANJULA SAXENA, Dy. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 95, dated the 17th May, 2014.

(DISASTER MANAGEMENT DIVISION)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 15th June, 2016

G.S.R. 96 .— In continuation of the Notification dated 8th April, 2016 Recruitment Rules for the post of Fire Adviser and Deputy Fire Adviser in the O/o DG(FS,CD & HG) Ministry of Home Affairs, the necessary amendments are as under :—

1. In GSR No. 55 at Page 353 Para-5

शिथिल करने की भक्ति के स्थान पर शिथिल करने की शक्ति पढ़ा जाए।

2. In GSR No. 56 at Page 364 Column No. 10

In place of "to be filled by Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies various methods may be amended as "

"Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods"

The Notification dated 8th April, 2016 stands amended to the above extent. All other contents of this notification remain the same.

[No. I-12011/1/2009-Ad (CD)]

B.L. MEENA, Dy. Secy.

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)**

नई दिल्ली, 13 जून, 2016

सा.का.नि. 97 .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षणशाला, तकनीकी सहायक (रसायन) भर्ती नियम, 1984 और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1991 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन राष्ट्रीय परीक्षण शाला तकनीकी सहायक (रसायन) में के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय राष्ट्रीय परीक्षण शाला, तकनीकी सहायक (रसायन) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वे होंगे जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहाँ उनके लिए जो कारण हैं संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तकनीकी सहायक (रसायन)	2* (2016) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित), अनुसचिवीय	वेतन बैंड -2, 9,300 रु.—34,800 और ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति -भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रति नियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति:

ऐसे विभागीय प्रयोगशाला पर्यवेक्षक जो वेतन बैंड- 1, 5200-20,200 रुपये और 2800 रुपये का ग्रेड वेतन में है और नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद श्रेणी में छः वर्ष सेवा की है।

टिप्पणी 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पणी 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित)

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों अथवा कानूनी और स्वायत्तशासी निकायों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालय:-

(क) (i) मूल काँडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर धारित समतुल्य पद धारण कर रहे हैं; अथवा

(ii) जिनकी वेतन बैंड- 1, 5200-20200 रुपये और ग्रेड वेतन 2800 रुपये या समतुल्य में नियमित आधार अथवा मूल कांडर या विभाग में नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में 6 वर्ष की सेवा हो।

(iii) जिनकी वेतन बैंड- 1, 5200-20200 रुपये और ग्रेड वेतन 2400 रुपये या समतुल्य में नियमित आधार अथवा मूल कांडर या विभाग में नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में दस वर्ष की सेवा हो।

(ख) आवश्यक अर्हताएं एवं अनुभव निम्नानुसार हैं:

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन की बेचलर डिग्री।

(ii) फोरमैन, प्रयोगशाला पर्यवेक्षक अथवा प्रयोगशाला सहायक के रूप में रसायन प्रयोगशाला में 5 वर्षों का अनुभव और मशीनों, उपकरणों एवं उपस्करों के रख-रखाव का ज्ञान कैमिकल रिएजेंट, डिस्टिल्ड वॉटर/डिमिनरलाइनेशन संयंत्र, फरनेस और ओवन इत्यादि जैसे रासायनिक संयंत्रों और उपकरणों का संचालन और रख-रखाव।

टिप्पणी-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी- 2 : प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी- 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(12)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति एवं पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी है:

1. क्षेत्र के वरिष्ठतम वैज्ञानिक 'सी' - अध्यक्ष
2. उपभोक्ता मामले विभाग के उप निदेशक (राष्ट्रीय परीक्षण शाला) अथवा अवर सचिव (राष्ट्रीय परीक्षण शाला) - सदस्य
3. क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड 2) - सदस्य

(13)

संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए-12018/4/2014-एन.टी.एच.]

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एन.टी.एच.)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)**

New Delhi, the 13th June, 2016

G.S.R. 97.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Test House, Technical Assistant (Chemical) Recruitment Rules, 1984 and National Test House, Headquarters and Regional Offices (Group 'C' post) Recruitment Rules, 1991, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Assistant (Chemical) in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, National Test House namely :-

1. Short title and commencement.— (1). These rules may be called Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the National Test House Technical Assistant (Chemical), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale .—The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc. - The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications. - No person. -

- (a) who has entered into contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order, for the reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade Pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technical Assistant (Chemical)	02* (2016) (*Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', non-Gazetted, non-Ministerial.	Pay band -2, Rs. 9,300- 34,800 plus grade pay of Rs. 4200.	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	Promotion failing which by deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption is to be made

(11)

Promotion : Departmental Laboratory Supervisor in the pay band - 1, Rs. 5,200 – 20,200 plus grade pay of Rs. 2800 with six years regular service in the grade.

Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation (including short term contract):

Officers under the Central Government or state government or Union territories or Public Sector Undertakings or statutory and autonomous bodies or recognised research institutions/Universities:-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -1, Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.2800 in the parent cadre or department; or
- (iii) with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band -1, Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.2400 in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the essential qualification and experience as under :
 - (i) Bachelor degree of Science with Chemistry from a recognised University; and
 - (ii) five years' experience in Chemical Laboratory as Foreman, Lab Supervisor or Lab Assistant and possessing knowledge of Up-keeping of machines, equipments and apparatus. Preparation of Chemical reagents, operation and maintenance of chemical plants and equipments like distilled water/demineralization plants, furnaces and ovens etc.

Note 1: The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2 : The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

Note 3: For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee, for considering promotion and confirmation, consisting of :- 1. Senior most Scientist 'C' of the Region - Chairman 2. Deputy Director (National Test House) or Under Secretary (National Test House) of Department of Consumer Affairs - Member 3. Administrative Officer (Grade-II) of the region - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A -12018/04/2014- NTH]
D.K. SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 13 जून, 2016

सा.का.नि. 98.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षणशाला, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय (सहायक कार्यशाला अधीक्षक) भर्ती नियम, 1991 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन राष्ट्रीय परीक्षण शाला में सहायक कार्यशाला अधीक्षक के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षणशाला, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सहायक कार्यशाला अधीक्षक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण वेतन बैंड और ग्रेड पे अथवा वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण वेतन बैंड और ग्रेड पे और उनके वेतनमान वे होंगे जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक कार्यशाला	3* (2016) (* कार्यभार	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख'	वेतन बैंड -2, 9,300 रु. -34,800 (ग्रेड	चयन

अधीक्षक	के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	(अराजपत्रित), अनुसचिवीय	वेतन 4200 रु.)	
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलेन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलेन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति:

5200—20,200 रु. के वेतन बैंड-1 तथा 2800 रु. के ग्रेड वेतन के साथ छः वर्ष की नियमित सेवा में अनुरक्षण पर्यवेक्षक/वेल्डिंग पर्यवेक्षक/बिजली चार्जमैन और फिटर/टर्नर/मिलर/ग्राइंडर/शेपर/ड्रिलर/वेल्डर/मेकेनिक के व्यापार में कम से कम दो सप्ताह का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण किया हो और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मैकेनिस्ट हो।

टिप्पणी 1 : प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधित ग्रेड/पद में विहित अर्हक सेवा के पूरा होने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।

टिप्पणी 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पणी 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियां संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।
1. क्षेत्र का वरिष्ठतम वैज्ञानिक 'सी' - अध्यक्ष	
2. उपभोक्ता मामले विभाग का उप निदेशक (राष्ट्रीय परीक्षण शाला) अथवा अवर सचिव (राष्ट्रीय परीक्षण शाला) - सदस्य	
3. क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड 2) - सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/4/2014-एन.टी.एच.]

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एन.टी.एच.)

New Delhi, the 13th June, 2016

G.S.R. 98.- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Test House, Headquarters and Regional Offices (Assistant Workshop Superintendent) Recruitment Rules, 1991, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Workshop Superintendent in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, National Test House, namely:-

1. Short title and commencement.- (1). These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the National Test House, Assistant Workshop Superintendent, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale .- The number of the post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc. .- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications. - No person -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for the reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade Pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Workshop Superintendent	3* (2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', (non-Gazetted), non - Ministerial.	Pay band -2, Rs. 9,300- 34, 800 with grade pay of Rs. 4200.	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption is to be made.
(11)
Promotion : (i) Maintenance Supervisor/ Welding Supervisor / Electrical Chageman in the pay band – 1, Rs. 5,200 – 20,200 with grade pay of Rs. 2800 with six years regular service in the grade and have successfully completed the training of not less than two weeks in the trade of Fitter /Turner/ Miller/Grinder/Shaper/Driller/Welder/Mechanic and Machinist from the Industrial Training Institute. Note 1.- The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the prescribed qualifying service in the respective grade or post by the officers. Note 2.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 3.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee, for considering promotion and confirmation, consisting of :- 1. Senior most Scientist 'C' of the Region - : Chairman 2. Deputy Director (National Test House) or Under Secretary (National Test House) of Department of Consumer Affairs - : Member 3. Administrative Officer (Grade-II) of the region - : Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A – 12018/4/2014-NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (National Test House)

नई दिल्ली, 13 जून, 2016

सा.का.नि. 99.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षणशाला, लेखाधिकारी, भर्ती नियम, 1987 को, उन बातों, के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन राष्ट्रीय परीक्षण शाला में लेखाधिकारी के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षणशाला, लेखाधिकारी भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है :

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:- जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहाँ उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के साथ विचार-विमर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
लेखा अधिकारी	2* (2016) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित), अनुसूचिवीय	वेतन बैंड -2, 9,300 रु. -34,800 रु0 ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति - भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलेन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलेन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलेन किया जाएगा।

(11)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कानूनी एवं स्वायत्त निकायों के अंतर्गत अधिकारी:-

- मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य या पद धारित करने वाले, या
- मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300 – 34800 रु. और 4200 रु. या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष सेवा की हो, और

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता:

आवश्यक :

- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय में डिग्री जिसके पास किसी सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन के कार्यालय में रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य में 3 वर्ष के अनुभव हो, अथवा
- सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान या भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य प्रशिक्षण संस्थान से रोकड़ एवं लेखा में पूर्ण प्रशिक्षण सहित रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य में 3 वर्ष किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी डिग्री में हो।

वांछनीय :

- भारत सरकार के संगठित लेखा विभागों में से किसी एक द्वारा आयोजित की जाने वाली अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण, या
- वाणिज्य या प्रबंधन या व्यापार अध्ययन में बेचलर डिग्री।

नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, **सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड**

है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए-12018/02/2015-एन.टी.एच.]

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (एन.टी.एच.)

New Delhi, the 13th June, 2016

G.S.R. 99.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Test House, Accounts Officer Recruitment Rules, 1987, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accounts Officer in the National Test House, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.— (1). These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the National Test House, Accounts Officer, Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scales.—The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scales attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc. .- The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.— No person,—

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may by order, for the reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Accounts Officer	2* (2016) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Pay band – 2, Rs. 9300 – 34,800 Grade pay - Rs. 4,600	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.

(11)

Deputation (including short term contract)

(A) Officers under the Central Government, State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or Statutory and Autonomous Bodies :-

(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department, or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band -2, Rs.9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre/department ; and

(B) possessing any one of the following qualifications:

Essential:

- (i) Degree in any subject from a recognised university with three years experience in Cash, Accounts and Budget work in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or Statutory Organisation; or
- (ii) Degree in any subject from a recognised university with three years experience in Cash, Accounts and Budget work with completed training in Cash and Accounts Work from Institute of Secretariat Training and Management or any other training Institute recognised by Government of India.

Desirable: -

- (a) Pass in the Subordinate Accounts Service examination conducted by any one of the Organised Accounts Departments of Government of India; or
- (b) Bachelor's degree in Commerce or Management or Business Studies.

Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

Note 3: For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F.No. A-12018/02/2015 – NTH]
D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

(प्रशिक्षण प्रभाग)

नई दिल्ली, 16 जून, 2016

सा.का.नि.100.—राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में सहायक निदेशक (समूह 'क') के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ --

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, सहायक निदेशक (समूह 'क') भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हता, आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक निदेशक	2* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड -3, 15,600 -39,100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
10	11
पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	प्रोन्नति:- लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के ऐसे प्रशासनिक अधिकारी या सहायक प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की हो और उन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान से स्थापन नियमों पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण तथा उपापन पर तीन दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलता पूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण - 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को,

आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु० + ग्रेड वेतन 5400 रु० या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड -2; 9300-34800 रु० + ग्रेड वेतन 4800 रु० या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो ; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान की डिग्री ।

(ii) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय में लेखा, प्रशासन या स्थापन कार्य में पांच वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
12	13
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए):- १. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष २. निदेशक, लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, - सदस्य ३. संयुक्त निदेशक, लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, - सदस्य ४. उप निदेशक (प्रशासन), लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा.सं. ए-13012/08/2013-अकादमी डेस्क
ओ. पी. चावला, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

(TRAINING DIVISION)

New Delhi, the 16th June, 2016

G.S.R. 100.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Group A) in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie Assistant Director (Group A) Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band, grade pay and pay scale.— The number of the post, its classification and the pay band and grade pay and pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications.— No person,-

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-service persons and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director	*2 (2016) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'A' Gazetted, Ministerial	Pay band- 3 Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs.6600	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	50 percent by promotion, 50 percent by deputation including short term contract

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Administrative Officer or Assistant Administrative Officer, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration with seven years regular service in the grade and successful completion of one week training programme on Establishment rules and 3 days training on procurement from Institute of Secretariat Training and Management. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):- 1. Chairman or Member of the Union Public Service Commission - Chairman 2. Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie - Member 3. Joint Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie - Member 4. Deputy Director (Administration), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or, two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Deputation (including Short Term Contract):

1. Officer under the Central Government or State Governments or Union territory Administration or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organizations:

(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-3, Rs. 15600-39100/- with Grade Pay of Rs.5400 or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-2, Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the educational qualification and experience as under:

(i) Degree of a recognized University or Institute

(ii) Five years experience in accounts, administration or establishment work

in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The Maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications. Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	--

[F.No. 13012/08/2013-Academy Desk]

O. P. CHAWLA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 101.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध रेसेप्सनिस्ट (स्वागती) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

मंत्रालय, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में स्वागतकर्ता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, स्वागतकर्ता (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्वागतकर्ता समूह 'ग'	3* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1; वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के साथ किसी सरकारी या अर्धसरकारी संस्थान या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अधीन पेनलित अस्पताल के स्वागतकर्ता में व्यवसाय का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सैक्टर उपक्रम के ऐसे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं। या केन्द्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सैक्टर उपक्रम के ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु.+ग्रेड वेतन 1800 रु. में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथा आवश्यक अपेक्षित अर्हता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- - अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल – अध्यक्ष - संबद्ध विभाग का प्रमुख, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल – सदस्य - निदेशक या उप निदेशक प्रशासन, (चिकित्सीय अस्पताल अनुभाग के भारसाधक), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य - उप निदेशक (प्रशासन), डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

संजय पंत, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 10th January, 2016

G.S.R.101.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of 'The Willingdon Hospital and Nursing Home (Class III posts) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the post of Receptionist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Receptionist in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Receptionist (Group 'C') Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application** - These rules shall apply to the posts specified in the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.** – The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.** – The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Receptionist Group 'C'.	3* (2015) (*subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'C', Non - Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20,200 with grade pay of Rs. 1900.	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18-25 years. (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: 12th class from a recognised Board or University with experience in the profession of receptionist in a Government or Semi Government Institute or hospital empanelled under Central Government Health Services. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the S.S.C or Competent Authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	Two Years for direct recruits	100 per cent by direct recruitment failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation /absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central or State or Union Territories or public sector undertakings holding analogous post on regular basis or Officers of the Central or State or Union territories or Public Sector Undertakings with three years regular service in the grade pay band-1, Rs. 5,200-20,200 plus Rs. 1,800 as grade pay and possessing requisite qualification as needed for direct recruits in column no. (7).	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Chairman (2) Head of Concerned Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Member (3) Director or Deputy Director Administration (In-charge of Medical Hospital Section) or Directorate General of Health Service. -Member (4) Deputy Director Administration, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital. -Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No. A-12018/09/2002-RR (MH-III)]
SANJAY PANT, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2016

सा.का.नि.102.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उसका संबंध सांख्यिकी सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, में सांख्यिकी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, सांख्यिकी सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान .—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सांख्यिकी सहायक	02* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसूचित	वेतन बैंड-1; वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक जिसमें एक विषय सांख्यिकी या गणित हो,	लागू नहीं होता	दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा - टिप्पण :- किसी पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारित रिक्तियों केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी,	लागू नहीं होता।

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; और , (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली – अध्यक्ष 2. उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य 3. उप निदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल – सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-11018/24/2004-भर्ती नियम]

संजय पंत, अवर सचिव

New Delhi, the 4th February, 2016

G.S.R.102.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Safdarjung Hospital (Class III posts), Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the post of Statistical Assistant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Statistical Assistant in the Safdarjung Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

- Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Statistical Assistant (Group 'C' post), Recruitment Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale .** – The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.** – No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving .-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes. Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay Scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Statistical	02* (2016)	General Central	PB 1, Rs. 5200-20200	Not applicable

Assistant	* Subject to variation dependent upon the workload	Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	plus grade pay of Rs. 2800	
Age-limit for direct recruits			Educational and other qualifications required for direct recruits	
(6)			(7)	
Between 18 and 25 years. (Relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep).			Bachelors Degree in any discipline with Statistics or Mathematics as one of the subject from a recognized University.	

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government:- (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption grades from which promotion or deputation /absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, New Delhi - Chairman (2) Deputy Director Medical Hospital, Directorate General of Health Services -Member (3) Deputy Director (Administration) Safdarjung Hospital, New Delhi -Member	Not applicable.

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2016

सा.का.नि.103.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1973 को जहां तक उसका संबंध आडियोमीटर तकनीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में आडियोमीटर तकनीशियन के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में आडियोमीटर तकनीशियन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आडियोमीटर तकनीशियन	01* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित/अननुसचिवीय)	वेतन बैंड -2 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 2800 रु0	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण 1 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति

					जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं					सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(7)					(8)
आवश्यक : ऑडियोलॉजी में चार वर्ष की डिग्री जिसके अंतर्गत एक वर्ष की इन्टर्नशिप है। वांछनीय : भारतीय और विदेशी भाषा का ज्ञान। टिप्पण 1 - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।					लागू नहीं होता

परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेदन किया जाएगा
9	10	11
दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है (जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण- 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण- 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है, और (ख) जिसके पास स्तंभ (7) में भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की दशा में

		यथा विहित अपेक्षित अर्हता है।
	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
	12	13
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि/समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :		लागू नहीं होता।
1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	- अध्यक्ष	
2. संबंधित विभाग के प्रमुख, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	- सदस्य	
3. उप निदेशक भार साधक, चिकित्सा अस्पताल अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	- सदस्य	
5. उप निदेशक प्रशासन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	- सदस्य	

[फा.सं. ए. 11018/07/2013-एमएच-III]

संजय पंत, अवर सचिव

New Delhi, the 17th February, 2016

G.S.R.103.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Willingdon Hospital and Nursing Home (Class III posts) Recruitment Rules, 1973, insofar as they relate to the post of Audiometer Technician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of (Audiometer Technician), in the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital New Delhi under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

- Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Audiometer Technician, (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.** – The number of the said posts, their classification pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.** – No person, -
(c) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(d) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Audiometer Technician	01* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band 1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800.	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 25 years. (Relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note .- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).	Essential: Four years degree in Audiology including one year internship; Desirable. Knowledge of Indian and Foreign language Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	Deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment. : Note 1: The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall , not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the

		corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.
--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation : Officers under the Central Government or State Government or Union Territories,- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre of department; Or (ii) With five years's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2400 or equivalent in the parent cadre of department; and (b) Possessing requisite qualification as required in case of direct recruits in column (7).	Group 'B' Departmental Confirmation Committee consisting of (for considering confirmation):— (1) Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Chairman (2) Head of the concerned Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Member (3) Deputy Director incharge of Medical Hospital Section, Directorate General of Health Services -Member (4) Deputy Director Administration Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Member	Not applicable.

[F. No. A-11018/07/2013-MH-III]

SANJAY PANT, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2016

सा.का.नि. 104.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लाईनन मिस्ट्रेस के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, लाईनन मिस्ट्रेस (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपावृद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,
- उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लाईनेन मिस्ट्रेस	02* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसन्धिवीय	वेतन बैंड-1; वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु०	अचयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति : डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वेतनमान - 1, रु. 5200-20200+ ग्रेड वेतन 1900 रु. पर अवर श्रेणी लिपिक के रूप में, ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन

	के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल – अध्यक्ष 2. उपनिदेशक प्रशासन, चिकित्सा अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य 3. उप निदेशक प्रशासन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं.ए-12018/37/1998-आर आर]

संजय पंत, अवर सचिव

New Delhi, the 17th February, 2016

G.S.R. 104.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Linen Mistress in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

- Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Linen Mistress (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.** – The number of the post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualifications etc.** – The method of recruitment age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.** – No person, -

(e) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(f) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or Non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Linen Mistress	02* (2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400	Non-selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Lower Division Clerk of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital in the Pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 1900 with eight years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi. ---Chairman (2) Deputy Director Administration, Medical Hospital, Directorate General of Health Services ---Member (3) Deputy Director Administration, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi. ---Member	Not applicable

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior 1st January, 2006 or /the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

[F. No. A-12018/37/1998-RR]

SANJAY PANT, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2016

सा.का.नि.105.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1973 जहां तक इसका संबंध आपरेशन थियेटर सहायक के पद से है, और डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, (शल्य शाला तकनीकी) भर्ती नियम, 1990, और डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (ज्येष्ठ थियेटर तकनीशियन) भर्ती नियम, 1985 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली शल्य शाला सहायक, शल्य शाला तकनीशियन और ज्येष्ठ थियेटर तकनीशियन के समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, शल्य शाला सहायक, शल्य शाला तकनीशियन और ज्येष्ठ थियेटर तकनीशियन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, और वेतनमान – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि – भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. शल्य शाला सहायक	40* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसूचित	वेतन बैंड-1; वेतनमान 5200- 20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय – समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान सहित विज्ञान में 12वीं उत्तीर्ण और कम से कम पचास बिस्तर वाले अस्पताल से एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण-1: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	आयु – नहीं अर्हता – हां	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
---	---

(10)	(11)
(i) चालीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ; और (ii) साठ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति : डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अस्पताल शल्य शाला परिचर या थियेटर अर्दली या समतुल्य पद से, जिन्होंने वेतनमान 5200-20200 रु.+ ग्रेड वेतन 1800 रु. की श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि या प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल – अध्यक्ष 2. संबद्ध विभागाध्यक्ष, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल – सदस्य 3. उप निदेशक प्रशासन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल – सदस्य	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. शल्य शाला तकनीशियन	16 * (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1; वेतनमान 5200-20200 रु.+ ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय – समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आने वाले

					अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं					सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिबीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)					(8)	(9)
भौतिकी, रसायन, जीवविज्ञान सहित विज्ञान में 12 वीं उत्तीर्ण और किसी शल्य चिकित्सा सुविधा रखने प्रख्यात अस्पताल या संस्थान या विश्वविद्यालय से डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ।					नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।
टिप्पण-1: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवरकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।						

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	ऐसा शल्य शाला सहायक से प्रोन्नति जिन्होंने वेतनमान 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु. की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह विभागीय पुष्टि/प्रोन्नति समिति (पुष्टि/ प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल – अध्यक्ष 2. संबद्ध विभागाध्यक्ष, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल – सदस्य 3. उप निदेशक प्रशासन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल – सदस्य 4. उप निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल	लागू नहीं होता।

का भार साधक	- सदस्य
-------------	---------

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. ज्येष्ठ शल्य शाला तकनीशियन	9 * (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1; वेतनमान 5200- 20200 रु.+ ग्रेड वेतन 2800 रु0	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा।	शल्य शाला तकनीशियन से प्रोन्नति जिसने वेतन बैंड -1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2400 रु. की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि/प्रोन्नति समिति (पुष्टि/ प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष 1. संबद्ध विभागाध्यक्ष, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य 2. उप निदेशक प्रशासन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य 3. उप निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल का भार साधक - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-11018/06/2005-एम एच-III/II पार्ट]

संजय पंत, अवर सचिव

New Delhi, the 14th March, 2016

G.S.R. 105.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Willingdon Hospital and Nursing Home (Class IV posts) Recruitment Rules, 1973 in so far as they relate to the post of Operation Theatre Assistant and the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi (Operation Theatre Technician) Recruitment Rules, 1990 and the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi (Senior Theatre Technician) Recruitment Rules, 1985 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' posts of the Operation Theatre Assistant, Operation Theatre Technician and Senior Theatre Technician in the Operation Theatre Department in the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Dr. Ram Mahohar Lohia Hospital, New Delhi Operation Theatre Assistant, Operation Theatre Technician and Senior Theatre Technician, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of posts, classification and scale of pay.** – The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** – The method of recruitment age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule.
4. **Disqualification.** – No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes. Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band, grade pay or pay scale	Whether selection post or Non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Operation Theatre Assistant.	40* (2015) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group C, Non Gazetted, Non Ministerial	Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900	Non –Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub – Division of Chamba District of Himachal Pradesh , the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshdweep). Note 2.- The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the 1st date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	10+2 passed in Science with Physics, Chemistry Biology and 1 year experience from minimum fifty bedded Hospital . Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Age –No Qualification –Yes	2 years for Direct Recruitment	(i) 40 percent by promotion ; and (ii) 60 per cent by direct recruitment .

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption grade from which promotion /deputation /absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion from Operation Theatre Attendant or Theatre Orderly or equivalent post in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital with three years regular service in the grade with scale of pay of Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1800. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior 1st January, 2006 or /the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	Group 'C' Departmental promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of - 1. Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital – Chairman. 2. Head of the Concerned Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital – Member. 3. Deputy Director Administration, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital – Member	Not applicable.

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay band, grade pay or pay scale .	Whether selection post or Non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Operation Theatre Technician.	16* *(2015) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group C, Non Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400.	Non Selection	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to

					time). Note 1.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub – Division of Chamba District of Himachal Pradesh , the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshdweep). Note 2.- The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the 1st date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.
--	--	--	--	--	---

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
10+2 passed in Science with Physics, Chemistry and Biology and Diploma or Certificate course from reputed Hospital or Institute or University having surgical facilities. Note: Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No.	Two years for Direct Recruits.	By promotion failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption grade from which promotion /deputation /absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion from Operation Theatre Assistant in the pay scale of Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900 with eight years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior 1st January, 2006 or /the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	Group 'C' Departmental promotion Committee (for considering promotion/confirmation): 1. Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital – Chairman. 2. Head of the Concerned Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital – Member. 3. Deputy Director Administration, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital – Member 4. Deputy Director Administration, in-charge of Medical Hospital in Directorate General of Health Services. – Member	Not applicable.

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay band, grade pay or pay scale .	Whether selection post or Non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Senior Operation Theatre Technician	9* *(2015) subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted Non-Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2800.	Non-selection

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion
----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption grade from which promotion /deputation /absorption to be made .	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion from Operation Theatre Technician in the pay band 1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400 with five years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior 1st January, 2006 or /the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	Group 'C' Departmental promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi – Chairman. 2. Head of the Concerned Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi – Member. 3. Deputy Director Administration, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital – Member. 4. Deputy Director Administration, in-charge of Medical Hospital in Directorate General of Health Services. – Member	Not applicable

[F. No. A-11018/06/2005-MH-III/II Pt.]

SANJAY PANT, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2016

सा.का.नि. 106.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, (ज्येष्ठ दंत तकनीकज्ञ) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2004 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में ज्येष्ठ दंत तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ दंत तकनीशियन समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ दंत तकनीशियन	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1; वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु०	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : वेतन बैंड -1, 5200- 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. में डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ऐसे दंत तकनीशियन में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति :- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल – अध्यक्ष 2. दंत चिकित्सा विभाग के प्रमुख, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल – सदस्य 3. उप निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-11018/14/2006 – भ. नि.]

संजय पंत, अवर सचिव

New Delhi, the 15th March, 2016

G.S.R.106- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, (Senior Dental Technician) Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Dental Technician in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi Senior Dental Technician Group 'C' post Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band, grade pay or pay scale.- The number of the posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. – The method of recruitment age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax: – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Dental Technician	01* (2015) Subject to variation on dependent workload.	General Central Service, Group 'C' Non Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band 1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800.	Non-selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	100 per cent promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: From amongst Dental Technicians of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital in pay band PB 1, Rs. 5200-20200+2400 as grade pay and with five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion ,	Department Promotion Committee : 1. Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital —Chairman 2. Head of the Dental Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital —Member 3. Deputy Director (in-charge), Directorate General of Health Services —Member	Not applicable.

their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
---	--	--

[F. No. A-11018/14/2006-RR]

SANJAY PANT, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जून, 2016

सा.का.नि. 107.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (वर्ग-3 और वर्ग-4 पद) भर्ती नियम, 1965 को, जहाँ तक उसका संबंध पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, पुस्तकालयाध्यक्ष, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.- पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति.-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालयाध्यक्ष	01* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा , समूह 'ग' अराजपत्रित , अननुसूचित	वेतन बैंड – 1, 5200 – 20200 रु. +ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण; और (ii) पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा। टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हाँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेहन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेहन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेहन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे पुस्तकालय परिचर जिन्होंने 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु0 के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रति स्थापना ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति : (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन ऐसे अधिकारी :- (i) जो वर्तमान काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड -1, 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 1900 रु0 या समतुल्य में उस पद में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	टिप्पण 3 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।
--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य 4. कमांड अधिकारी, सैनिक अस्पताल, कसौली या उसका प्रतिनिधि - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं.ए-12018/05/2015-ईपीआई]

बी. एल. मीना, अवर सचिव

New Delhi, the 14th June, 2016

G.S.R.107.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Research Institute, Kasauli (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1965, in so far as they relate to the post of Librarian, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Librarian, in the Ministry of Health and Family Welfare, the Central Research Institute, Kasauli, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, the Central Research Institute, Kasauli, Librarian, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.** - The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification** - No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Librarian.	1* (2016) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Ministerial.	Pay band -1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400/.	Non-selection.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 25 years. (Relaxable for departmental candidates up to the age of forty years in the case of general candidates and up to forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti District of Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	(i) 12th pass from a recognised board or University; and (ii) Diploma in Library Science. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified for reasons to be recorded. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates with the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Age: No. Educational Qualification: Yes.

Period of Probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted making recruitment
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years for direct recruits.	Promotion failing which by Deputation failing both by direct recruitment.	Promotion: Library Attendant with eight years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 1900. Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay and pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit shall extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal	Group 'C' Departmental Promotion Committee, for considering promotion and confirmation consisting of: (1) Deputy Director, Central Research Institute, Kasauli - Chairman (2) Assistant Director, Central Research Institute, Kasauli - Member (3) Administrative Officer, Central Research Institute, Kasauli - Member (4) Commanding officer, Military Hospital, Kasauli, or his representative - Member	Not applicable.

		replacement grade without any upgradation. Deputation: (a) Officers under the Central Government or State Government or Union territories,- (i) holding analogous post on a regular basis in the present cadre or Department; or (ii) with eight years regular service in the posts in the Pay band-I, Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900 or equivalent, and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7). Note 1. - The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceeding three years. Note 2.-The maximum age limit for deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications. Note 3.- The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 4.- For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay and pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of the pay into one grade with a common grade pay and pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	---	--	--

B.L. MEENA, Under Secy.

(केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना)

नई दिल्ली, 15 जून, 2016

सा.का.नि. 108.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली (आया) भर्ती नियम, 1976, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली धात्री भर्ती नियम, 1977 और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, महिला परिचर (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन में चिकित्सा परिचारिका के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, चिकित्सा परिचारिका, भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि: भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा परिचारिका	419* (2016) सीजीएचएस अहमदाबाद -11 सीजीएचएस इलाहाबाद - 8 सीजीएचएस बेंगलुरु - 10 सीजीएचएस भोपाल - 2 सीजीएचएस भुवनेश्वर - 3 सीजीएचएस चंडीगढ़/ जम्मू - 1 सीजीएचएस चन्नई - 24 सीजीएचएस देहरादून - 2 सीजीएचएस दिल्ली - 209 सीजीएचएस गुवाहाटी - 5 सीजीएचएस हैदराबाद - 19 सीजीएचएस जबलपुर - 4 सीजीएचएस जयपुर - 9 सीजीएचएस कानपुर -11 सीजीएचएस कोलकता- 20 सीजीएचएस लखनऊ - 10 सीजीएचएस मेरठ - 9 सीजीएचएस मुंबई - 32 सीजीएचएस नागपुर - 10 सीजीएचएस पटना - 6 सीजीएचएस पुणे - 11 सीजीएचएस रांची - 2 सीजीएचएस शिलांग - 1 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1- -5200 20200 रूपये+ ग्रेड वेतन 1800 रूपये	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष की आयु तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार-सरकारी सेवकों के लिए साधारण वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1 : आयु सीमा निर्धारण करने की निर्णायक तारीख भारत में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय द्वारा की गई भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय में नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति भर्ती : सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेसन द्वारा तथा/ पद्धतियों द्वारा भरी जाने विभिन्न रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेसन किया जाएगा।
--	---	-------------------------------	---	--

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण (ii) केन्द्रीय या राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त संस्था से उपचार का प्रमाणपत्र।	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर होने, बीमार होने अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी, जो- (क) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों, और (ख) स्तम्भ (7) में उल्लिखित सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता और अनुभव रखते हों।	लागू नहीं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) , केन्द्रीय केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना – अध्यक्ष 2 . चिकित्सा अधिकारी, संबंधित यूनिट का प्रभारी - सदस्य 3. अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक राजपत्रित अधिकारी - सदस्य 4 . संबंधित यूनिट का प्रशासनिक अधिकारी – सदस्य यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है तो केन्द्रीय सरकार का कोई गुप 'क' अधिकारी	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/04/2015-सीजीएचएस-1]

धर्मेन्द्र सिंह, अवर सचिव

(CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME)

New Delhi, the 15th June, 2016

G.S.R.108.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Government Health Scheme, Delhi (Ayah) Recruitment Rules, 1976, the Central Government Health Scheme, Delhi Midwife Recruitment Rules, 1977, and the Central Government Health Scheme, Female Attendant (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lady Medical Attendant in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Government Health Scheme Organisation, Lady Medical Attendant Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. - The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lady Medical Attendant.	419* (2016) CGHS Ahmedabad- 11 CGHS Allahabad - 8 CGHS Bangaluru – 10 CGHS Bhopal - 2 CGHS Bhubaneshwar – 3 CGHS Chandigarh/ Jammu -1 CGHS Chennai – 24 CGHS Dehradun – 2 CGHS Delhi - 209 CGHS Guwahati - 5 CGHS Hyderabad - 19 CGHS Jabalpur - 4 CGHS Jaipur - 9 CGHS Kanpur – 11 CGHS Kolkata – 20 CGHS Lucknow – 10 CGHS Meerut – 9 CGHS Mumbai – 32 CGHS Nagpur- 10 CGHS Patna – 6 CGHS Pune – 11 CGHS Ranchi – 2 CGHS Shillong – 1 *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs.1800/-.	Not applicable.	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

					Note 2: In the case of recruitment made through employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or by absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i) Matriculation or equivalent pass from a recognised Board; (ii) Certificate in First Aid from Central Government or State Government recognised institution.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government,- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualification and experience for direct recruits under column (7).	Not applicable.	

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee exists (for considering confirmation) consisting of :- 1. Joint Director, Central Government Health Scheme (Head Quarter) Central Government Health Scheme - Chairman 2. Medical Officer, In-charge of the concerned Unit - Member 3. One Gazetted Officer belonging to Schedule Casts or Schedule Tribes category - Member 4. Administrative Officer of concerned Unit. - Member	Not applicable.

If there is no Administrative Officer, any other
Group 'A' Officer of Central Government

[F.No. A-12018/04/2015-CGHS-I]

DHARMINDER SINGH, Under Secy.

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जून, 2016

सा.का.नि.109.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की विभागीय कैंटीन, नई दिल्ली में समूह 'ग' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विभागीय कैंटीन कर्मचारी, समूह 'ग' पद के भर्ती नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना**— ये नियम, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान**— उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा उनके वेतनमान वे होंगे, जो कथित अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हता और उनसे संबंधित अन्य बातें वहीं होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- प्रारंभिक गठन**— इन नियमों के आरंभ होने से ठीक पहले केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के तारीख 02 सितंबर, 1988 के कार्यालय आदेश संख्या 2/1/87/सीईए/डीसी द्वारा नियमित आधार पर सहायक प्रबंधक, लिपिक, सहायक हलवाई तथा बेयरा के पदधारी अभ्यर्थी इन नियमों के उपबंधों के अनुरूप नियुक्त किए गए माने जाएंगे और इन नियमों के आरंभ होने से ठीक पहले उनकी संबंधित पदों पर निरंतर सेवा को परिवीक्षा एवं प्रोन्नति हेतु अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए शामिल किया जाएगा।
- निरर्हता— कोई भी व्यक्ति, -**
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
- शिथिल करने की शक्ति**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति**— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
1. हलवाई-सह-	2*	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड-1,	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच

रसोइया	(2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	5200-20200 और ग्रेड वेतन 2000 रु.		(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के मामले में 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय के माध्यम से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
--------	---	--------------------------------------	-----------------------------------	--	---

सीधी भर्ती किए जाने वाले आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएं प्रोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
(क) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और खान-पान में प्रमाण-पत्र अथवा डिप्लोमा; (ख) किसी सरकारी विभाग अथवा उपक्रम में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव; (ग) अभ्यर्थी की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए पकाने के लिए एक व्यापार निपुण परीक्षण लिया जाएगा। टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है तब चयन के प्रक्रम पर यह सक्षम प्राधिकारी की राय है कि उनके आरक्षित रिक्तियों के भरे जाने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदाय के	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष। टिप्पण: 2 वर्ष की अवधि में सफलतापूर्वक किया गया 2 सप्ताह की अवधि का आज्ञापत्र आरंभिक प्रशिक्षण शामिल होगा।	प्रोन्नति, जिसमें सफल न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों में सफल न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने पर शिथिल की जा सकती है।			
---	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति का आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो, उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13
प्रोन्नति वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु. में 3 वर्ष की सहायक हलवाई-सह-रसोइया में नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति:	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के मामलों पर विचार करने हेतु) 1. निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण – अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (कार्मिक), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण – सदस्य; 3. अवर सचिव (साधारण आपूर्ति), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

केंद्रीय सरकार के अधिकारी जो:

(क) (i) नियमित आधार पर सद्रथ पद धारण कर रहे हों; अथवा

(ii) वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु. में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले सहायक हलवाई-सह-रसोइया; और

(ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हों:

(i) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और खान-पान में प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा;

(ii) किसी सरकारी विभाग अथवा उपक्रम में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, **सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है,** उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित

तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		
---	--	--

1	2	3	4	5	6
2. लिपिक	2* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैण्ड-1, 5200-20200 और ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

7	8	9	10
(क) वाणिज्य में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ख) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी-दबाव की औसत से 10500 कुंजी-दबाव प्रति घंटा अथवा 9000 कुंजी-दबाव प्रति घंटा के समतुल्य होता है)। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सरकार या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष, प्रोन्नति हेतु शून्य। टिप्पण: 2 वर्ष की अवधि में सफलतापूर्वक किया गया 2 सप्ताह की अवधि का अनिवार्य आरंभिक प्रशिक्षण शामिल होगा।	प्रोन्नति, जिसमें सफल न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
---	--	--	--

11	12	13
प्रोन्नति वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु. में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले कैटीन परिचर। लिपिक पद पर प्रोन्नति के लिए कैटीन परिचर हेतु सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से संगठनात्मक व्यवहार, संप्रेषण, कौशल तथा लेखांकन व्यवहार संबंधी 2 सप्ताह का प्रशिक्षण वांछनीय होगा। टिप्पण 1: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के मामलों पर विचार करने हेतु) 1. निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण – अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (कार्मिक), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण – सदस्य; 3. अवर सचिव (साधारण आपूर्ति), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6
3. सहायक हलवाई-सह-रसोइया	1* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैण्ड-1, 5200-20200 और ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के मामले में 40 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय) टिप्पण: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से माध्यम से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

7	8	9	10
(क) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और खान-पान में प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा; (ख) अनुभव-1 वर्ष; (ग) अभ्यर्थी की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा साफ-सफाई बनाए रखने इत्यादि सहित कुकिंग के लिए एक व्यापार निपुण परीक्षण लिया जाएगा। टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केन्द्रीय या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष, प्रोन्नति के लिए शून्य। टिप्पण: 2 वर्ष की अवधि में सफलतापूर्वक किया गया 2 सप्ताह की अवधि का अनिवार्य आरंभिक प्रशिक्षण शामिल होगा।	प्रोन्नति, जिसमें सफल न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों में सफल न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

11	12	13
----	----	----

प्रोन्नति

वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु. में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले कैंटीन परिचर।

विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा साफ-सफाई बनाए रखने इत्यादि सहित पकाने के संदर्भ में एक व्यापार परीक्षण लिया जाएगा।

टिप्पण 1: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:

केंद्रीय सरकार के अधिकारी जो:

(i) नियमित आधार पर सद्रथ पद धारण कर रहें हों; अथवा

(ii) वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु. में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले हलवाई-सह-रसोइया के हेल्पर; और

(iii) खान-पान में प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति**(प्रोन्नति के मामलों पर विचार करने हेतु)**

1. निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण – अध्यक्ष;
2. अवर सचिव (कार्मिक), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण – सदस्य;
3. अवर सचिव (साधारण आपूर्ति), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण – सदस्य।

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		
---	--	--

1	2	3	4	5	6
4. कैंटीन परिचर	8* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 और ग्रेड वेतन 1800 रु.	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के मामले में 40 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय) टिप्पण: सेवायोजन कार्यालय द्वारा नाम भेजने की अंतिम तिथि, आयु सीमा निर्धारित करने के लिए सही तिथि होगी। रोजगार समाचार अथवा समाचार पत्र में विज्ञापित पदों के मामले में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि आयु सीमा निर्धारण की सही तिथि होगी।

7	8	9	10
मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष। टिप्पण: 2 वर्ष की अवधि में सफलतापूर्वक किया गया 2 सप्ताह की अवधि का अनिवार्य आरंभिक प्रशिक्षण	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: अभ्यर्थी के प्रतिनियुक्ति अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययन छुट्टी अथवा अन्य परिस्थितियों के अधीन 1 वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए दूर रहने से हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के अधिकारियों

		शामिल होगा।	से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी, जो क) नियमित आधार पर सदस्य पद पर हों; ख) स्तंभ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों।
--	--	-------------	---

11	12	13
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के मामलों पर विचार करने हेतु) 1. निदेशक (प्रशासन), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण – अध्यक्ष; 2. अवर सचिव (कार्मिक), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण – सदस्य; 3. अवर सचिव (साधारण आपूर्ति), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

स्पष्टीकरण टिप्पण: ये नियम इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। तथापि, नियम 5 वियम पदधारको की सेवाएं नियमित करने को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रभाव से लागू होंगे और प्रमाणित किया जाता है कि नियम 5 को पूर्व प्रभावी करने से, किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[फा.सं. ए-12018/02/2012-प्रशा.]

ब्रज मोहन, निदेशक

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 10th June, 2016

G.S.R. 109.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Ministry of Power, Departmental Canteen of the Central Electricity Authority, New Delhi, namely :-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of Power, Central Electricity Authority, Departmental Canteen Employees, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** - These rules shall apply to the posts specified in column(1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.** - The number of said posts, classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns(5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Initial Constitution.** -The incumbents holding the posts of Halwai-cum-Cook, Clerk, Assistant Halwai-cum-Cook and Canteen Attendant immediately before the commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules and their continuous service in the respective posts immediately before the commencement of these rules shall be taken into account for the purpose of qualifying service for probation and promotion.

6. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.** - Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Halwai- cum – Cook.	2* (2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-I, Rs.5200-20,200/- plus grade pay of Rs.2000/-.	Non-selection.	Between 18 and 25 years, (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in accordance with the orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case the post is advertised in Employment News or newspaper, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which applications have been called for.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
(a) 10 th Class pass with Certificate or Diploma in Catering; (b) two years experience of	No	Two years for direct recruits. Note: The period of two	Promotion, failing which by deputation and failing both by direct recruitment.

working in a Government department or undertaking; (c) a Trade Skill Test for cooking shall be conducted to assess suitability of the candidate. Note: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	
---	--	---	--

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Halwai-cum-Cook with three years regular service in the pay band-1, Rs.5200-20,200/-with grade pay of Rs.1900/-. Note1: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. Note2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government: (A) (i) holding analogous posts on regular basis; or	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of : (1) Director (Administration), Central Electricity Authority -Chairman; (2) Under Secretary (Personnel), Central Electricity Authority -Member; (3) Under Secretary (General Supply), Central Electricity Authority -Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(ii) Assistant Halwai-cum-Cook with three years regular service in the pay band-1, Rs.5200-20,200/- plus grade pay of Rs.1900/-; and (B) possessing the qualifications and experience : (i) 10th Class pass with a Certificate or Diploma in Catering; (ii) Experience - two years in a Government department or undertaking. Note1 :The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note2 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note3: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Clerk.	2* (2016) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-I, Rs.5200-20,200/- plus grade pay of Rs.1900/-.	Non – selection.	Between 18 and 25 years, (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in accordance with the orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit

					shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case the post is advertised in Employment News or newspaper, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
(a) 12th Class pass in Commerce stream; (b) a typing speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi on computer. (thirty-five words per minute and thirty words per minute correspond to 10500 Key Depression Per Hour or 9000 Key Depression Per Hour on an average of 5 key depressions for each word) Note (1): Qualification(s) are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. Note (2): The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No	Two years for direct recruits, nil for promotees. Note: The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	Promotion, failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion : Canteen Attendant with three years regular service in the pay band-I, Rs.5200-20,200/- with grade pay of Rs.1800/-. A two week training on Organisational Behaviour, Communication Skill and Accounting Practices shall be desirable for the Canteen Attendants for promotion to the post of Clerk, from Institute of Secretariat	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :- (1) Director (Administration), Central Electricity Authority - Chairman; (2) Under Secretary (Personnel), Central Electricity Authority -Member;	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

Training and Management or any other institute recognised by Government of India or State Government. Note: (1) For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. Note: (2) Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	(3) Under Secretary (General Supply), Central Electricity Authority -Member.	
---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Halwai – cum – Cook.	1* (2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-I, Rs.5200-20,200/- plus grade pay of Rs.1900/-.	Non-selection.	Between 18 and 25 years, (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in accordance with the orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case the post is advertised in Employment News or newspaper, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.

(7)	(8)	(9)	(10)
(a) 10th Class pass with a Certificate or Diploma in Catering; (b) experience - one year; (c) a Trade Skill Test for cooking including maintenance of hygiene etc. shall be conducted by the Departmental Promotion Committee to assess the suitability of the candidate. Note: The qualification regarding	No	Two years for direct recruits, Nil for promotees. Note: The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.

experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			
(11)	(12)	(13)	
Promotion: Canteen Attendant in the pay band-I, Rs.5200-20,200/-with grade pay of Rs.1800/- with three years regular service in the grade. A Trade test shall be got conducted by the Departmental Promotion Committee with reference to the cooking including maintenance of hygiene, etc. Note 1: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government: (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) Canteen Attendant in the pay band-I, Rs.5200-20,200/-plus grade pay of Rs.1800/-, with three years regular service having one year experience as helper to Halwai-cum-Cook; (iii) possessing certificate or diploma in Catering. Note 1: The period of deputation	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of : (1) Director (Administration), Central Electricity Authority-Chairman; (2) Under Secretary (Personnel), Central Electricity Authority -Member; (3) Under Secretary (General Supply), Central Electricity Authority -Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.	

including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Canteen Attendant.	8* (2016) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-I, Rs.5200-20,200/-plus grade pay of Rs.1800/-.	Not applicable.	Between 18 and 25 years, (Relaxable for Government servants) upto the age of forty years in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or newspaper, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.

(7)	(8)	(9)	(10)
-----	-----	-----	------

Matriculation from a recognized Board	Not applicable.	Two years. Note: The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. a) Holding analogous posts on regular basis b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col. 7”
(11)	(12)		(13)
Not applicable.	Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Director (Administration), Central Electricity Authority -Chairman; (2) Under Secretary (Personnel), Central Electricity Authority - Member; (3) Under Secretary (General Supply), Central Electricity Authority - Member.		Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

Explanatory Note: These rules shall come into force from the date of their publication in the official Gazette. However, Rule 5 shall come into force with retrospective effect with a view to regularise the services of the existing incumbents and it is certified that by giving retrospective effect to rule 5, no one is likely to be adversely affected.

[F.No. A-12018/02/2012-Admn.I]
BRAJ MOHAN, Director